ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2234/2005/सीकर चावली बनाम विद्याधर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राधेश्याम पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 02–07–19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–02–05 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को 200/– रू0 कॉस्ट पर स्वीकार किया।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि तनकियात निर्मित किए जाने के समय अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित था किन्तु उस समय उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए किन्तु 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् गोद की लिखावट व अन्य प्रमाण प्रा0 पत्र के साथ पेश किए, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने लोकहित के दस्तावेज मानकर अभिलेख पर लेने का आदेश पारित किया, जो क्षैत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। उनका तर्क था कि गोद लिया या नहीं, यह बिन्दू अगर विवादास्पद है तो राजस्व न्यायालय को गोद की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2234/2005/सीकर चावली बनाम विद्याधर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। तथाकथित गोद की लिखावट पंजीकृत नहीं है, ऐसी स्थिति में इसे अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता है। उनका यह भी तर्क था कि जब न्यायालय को गोद की तनकी को निर्णय करने का अधिकार ही नहीं है तो उन्हें प्रमाणित करने के किसी प्रमाण को अभिलेख पर लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अन्त में उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए पारित किया है, अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जावें। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है तथा इन पर अविश्वास किया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा उक्त दस्तावेज से अधीनस्थ न्यायालय को न्यायोचित निर्णय प्रदान करने में सहायता मिलेगी, उक्त स्थिति के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायहित में प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 को 200/– रू0 कॉस्ट पर स्वीकार किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। वैसे भी निगरानी का दायरा सीमित होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि वह निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत हो। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में किसी विधि का उल्लंघन किया जाना	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2234/2005/सीकर चावली बनाम विद्याधर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं पाया जाता है। अतः हमारी सुविचारित राय में आक्षेपित आदेश विधिसम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2005 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	